# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पहाडी ( भरतपुर)

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 117/2019

फूलचन्द पुत्र छज्जू जाति लुहार निवासी ग्राम पापडा तहसील पहाडी

वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

उपस्थित :— श्री प्रहलाद सिंह वकील वादीगण

दिनांक :— 23.11.2020

## निर्णय

वादी द्वारा यह दावा अन्तर्गत धारा 15, 88,89, आर0टी0एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नं0 305/0.11, 635/0.12, 642/0.29, 296/0.26, 643/0.04 किता 5 रकबा 0.82 है0 बांके ग्राम पापडा तहसील पहाडी में स्थित है। आराजी मुत0 वादी की पुश्तैनी आराजी है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के फोर्स में आने से पूर्व से ही वादी के बुजुर्गान आराजी पर कब्जे काश्त रहे अब हाल में आराजी पर वादी का कब्जा है। मौके पर वादी निरन्तर रूप से खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम खातेदार की जगह गैरखातेदार दर्ज कर रखा है। जबकि कानूनन वादी का मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकॉर्ड में खातेदार दर्ज कर देना चाहिये था। वादी ने यह दावा राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश किया है जिसके प्रतिनिधी तहसीलदार पहाडी है। कानूनन तहसीलदार को दो माह का नोटिस दिया जाना जरूरी होता है। लेकिन मामला अर्जेन्ट नेचर का होने के कारण नोटिस दिया जाना सम्भव नहीं है। क्योंकि राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार का इन्द्राज होने के कारण राज सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है। अतः निवेदन है कि आराजी वादी की पुश्तैनी होने के कारण राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार दर्ज किया जावें। दावा पेश करने से पूर्व न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 80 (2) जा0दी0 प्रस्तुत कर सरकार के विरूद्ध दावा पेश करने की अनुमति ले ली है। वादी विवादित आराजी पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार के रूप में काबिज है और आराजी पुश्तैनी है।

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

मुताबिक कानून वादी को खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो चुके है। इसलिए राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम गैरखातेदार के रूप में दर्ज होता चला आ रहा है। उसे कलमजन किया जाकर वादीग को मुताबिक हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावें।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी ने उपस्थित न्यायालय होकर दिनांक 29.08.2019 को वादी के दावा को स्वीकार करते हुये जबाब पेश किया है कि आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व ही आराजी पर वादी के बुजुर्गान काबिज थे और अब हाल में आराजी पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी को खातेदारी देना न्यायहित में है। अतः वादी को राजस्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करना न्यायहित में है।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गई ।

**तनकी संख्या 1 :–** आया आराजी मुतदाविया बांके ग्राम पापडा तहसील पहाडी में स्थित है। जो कि वादी की पुश्तैनी आराजी है ।

........वादी

**तनकी संख्या 2 :–** आया आराजी पर वादी को खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड करा पाने के कानूनी अधिकार हासिल है।

........वादी

**तनकी संख्या 3 :–** आया आराजी पर चले आ रहे गैरखातेदारी के इन्द्राज के स्थान पर खातेदारी का इन्द्राज करा पाने के अधिकारी है।

**4:–दादरसी** ।

वादी ने अपने दावा के समर्थन में मौखिक साक्ष्य में पी0डब्लू0 1 फलचन्द , पी0डब्लू02 देवेन्द्र, पी0डब्लू0 3 मौज खां, के शपथ पत्र पेश किये। दस्तावेजी साक्ष्य मे नकल जमाबन्दी 2001 लगायत 2003, 2011 लगायत 2014, 2016 लगायत 2019, 2023 लगायत 2026, 2027 लगायत 2030, 2031 लगायत 2034, 2035 लगायत 2038, 2039 लगायत 2042, 2048 लगायत 2051, 2056 लगायत 2059, नकल खसरा गिरदावरी सम्वत 2040 लगायत 2043, 2064 लगायत 2067, 2072 लगायत 2075 पेश की है।

बहस वादी सुनी गई। बहस में वकील वादी ने अपने दावे में दर्ज तथ्यों को दोहराया ।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तनकीबार विवेचन निम्नानुसार है।

**तनकी संख्या :– 1** उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2060 लगायत 2063 के मुताबिक आराजी बांके ग्राम पापडा में स्थित है एवं संलग्न नकल जमाबन्दी सम्वत 2011 लगायत 2014 के मुताबिक आराजी पर छज्जू पुत्र चन्द्र, गैर मौरोसी के राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है जो कि वादी का पिता है। एंव उसके पश्चात जमाबन्दी में लगातार गैर मौरोसी /मौरोसी के इन्द्राज है। अतः मुताबिक राजस्व रिकार्ड वादी इस

उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर)

Scanned with OKEN Scanner

तनकी को सिद्ध करने में सफल रहा है।ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

**तनकी संख्या :— 2 व 3** उक्त तनकी को सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। पत्रावली में संलग्न राजस्व रिकॉर्ड एवं जबाब तहसीलदार पहाडी के मुताबिक वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही आराजी पर काबिज काश्त है और आज भी विवादित आराजी पर वादी का ही मुताबिक हिस्सा कब्जा है। अतः वादी आराजी पर गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज करा पाने के कानूनन अधिकारी है। अतः यह तनकीया भी वाहक वादी निर्णित की जाती है।

**4. दादरसी** :— तनकी संख्या 1 व 2 व 3 वादी के पक्ष में निर्णित हो गई है ऐसी स्थिति में दावा वादी डिक्री किये जाने योग्य है।

**अतः आज्ञा है कि :—**

दावा वादीडिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नं0 305/0.11, 635/0.12, 642/0.29, 296/0.26, 643/0.04 किता 5 रकबा 0.82 है0 बांके ग्राम पापडा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23.11.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(संजय गोयल)
उपखण्ड अधिकारी
पहाड़ी (भरतपुर).

**डिगरी व मुकदमे इब्तदाई**

(ओ0 20 रू0 6–7 जाप्ता दीवानी)

[Civil Procedure Code Appendix D-I]

**अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम पहाडी भरतपुर (राज0)**

पीठासीन अधिकारी संजय गोयल आर0ए0एस

मुकदमा नं0 117/2019

फूलचन्द पुत्र छज्जू जाति लुहार निवासी ग्राम पापडा तहसील पहाडी

वादी

बनाम

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार पहाडी जिला भरतपुर

प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 15,88,89, आर0टी0 एक्ट

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूवरू मुझ संजय गोयल आर0ए0एस0 .............व हाजिरी वकील वादी मिनजानिव वकील XXXX उपस्थित मुद्दालय पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि व डिगरी दी जाती है कि अतः आज्ञा है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नं0 305/0.11, 635/0.12, 642/0.29, 296/0.26, 643/0.04 किता 5 रकबा 0.82 है0 बांके ग्राम पापडा तहसील पहाडी पर गैरखातेदार के स्थान पर मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पूर्व में चले आ रहे गैरखातेदार के इन्द्राज को कलमजन किये जाने की आज्ञा दी जाती है।

आज ..... X ....... मुबलिग ............................ X ........................................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद व शहर ......... X ........... को सर्दी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी ............. X ......................तक अदा करें।

बसबत ~~मेरे दस्तखत~~ व मुहर अदालत के आज तारीख 23.11. सन् 2020 को जारी की गई ।

मुहर

दस्तखत ....................

ओहदा उपखण्ड अधिकारी पहाड़ी (भरतपुर)

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दालय | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अरजीदावा ....... | 2.00 | | स्टाम्प अरजीदावा ....... | | |
| स्टाम्प वकालतनामा ........ | 1.00 | | स्टाम्प वकालतनामा ........ | | |
| स्टाम्प वजह सबूत ........ | 1.00 | | स्टाम्प वजह सबूत ........ | | |
| महनताना वकील )पर ..... | | | महनताना वकील )पर ..... | | |
| खर्चा गवाहान ..... | | | खर्चा गवाहान ..... | | |
| फीस कमिश्नर ...... | | | फीस कमिश्नर ...... | | |
| बबत इजराय हुक्मनामा ..... | | | बबत इजराय हुक्मनामा ..... | | |
| मुतफर्रिक ..... | | | मुतफर्रिक ... | | |
| मीजान ........... | 4.00 | | मीजान .......... | | |

Scanned with OKEN Scanner